भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1342
दिनांक 11 फरवरी, 2026 / 22 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय परिव्यय

1342# श्री नीरज शेखर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुलिस आधुनिकीकरण का उद्देश्य और वित्तीय परिव्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) सीएपीएफ में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित उत्पादों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क):

I) <u>राज्य पुलिस बल</u>

केंद्र, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता (एएसयूएमपी) स्कीम के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करता है। इस स्कीम का उद्देश्य पुलिस स्टेशनों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, हथियारों, संचार प्रणालियों, गतिशीलता से लैस करके तथा पुलिस स्टेशनों और आवास जैसी चुनिंदा अवसंरचना के माध्यम से पुलिस अवसंरचना को मजबूत करना है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए 4,846 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई है।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1342, दिनांक 11.02.2026

II) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ):

आधुनिकीकरण योजना-IV के अंतर्गत, 1,523 करोड़ रुपये (दिनांक 01.01.2022-31.03.2026 तक) के परिव्यय के साथ बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एनएसजी और एसएसबी जैसे बलों को शामिल किया गया है। यह योजना वर्तमान सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए हथियारों, निगरानी, संचार उपकरणों, वाहनों और सुरक्षात्मक गियर को उन्नत करने पर केंद्रित है।

(ख) और (ग): केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में डीआरडीओ द्वारा विकसित उत्पादों को शामिल करने के लिए गृह मंत्रालय और डीआरडीओ द्वारा एक सुव्यवस्थित पद्धति विकसित की गई है। सबसे पहले, ऑपरेशन संबंधी आवश्यकताओं (ओआर) को गृह मंत्रालय (उपयोगकर्ता सीएपीएफ) द्वारा आकलित किया जाता है, फिर डीआरडीओ द्वारा क्यूआर/टीडी तैयार किए जाते हैं और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के सहयोग से इन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। इसके पश्चात शीर्ष परिषद द्वारा नियत की गई मात्रा के साथ आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) के आधार पर, डीआरडीओ द्वारा विकास-सह-उत्पादन भागीदार (डीसीपीपी)/उत्पादन एजेंसी (पीए) के साथ मिलकर प्रणाली विकसित की जाती है। इसके बाद, डीआरडीओ द्वारा उपयोगकर्ता परीक्षणों (ट्रायल) और उपयोगकर्ता केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) के भागीदार की सूचना देने के बाद, उपयोगकर्ता सीएपीएफ द्वारा आपूर्ति आदेश दिए जाते हैं।
